

राजस्थान सरकार
कृषि §गुप-2§ विभाग

09-10-2006

क्रमांक : प. 10§2§कृषि/गुप-2/75 जयपुर, दिनांक : 09 Oct 2006

-: अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961§1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38§ की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्तद द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न कृषि उपजों की अनुसूची के क्रम संख्या 2 पर शीर्षक "धान्य" के अन्तर्गत उल्लेखित कृषि उपज ज्वार, मक्का एवं बाजरा के कृष-विक्रय पर मण्डी समितियों द्वारा उद्गृहणीय मण्डी शुल्क की दर प्रति एक सौ रूपये पर 1.60 रूपये §रुल लपया ताठ पैते§ के स्थान पर 0.50 रूपये §पचास पैते§ मात्र तत्काल प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है ।

आज्ञा से,

80

§ के.ती. वर्मा §
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री/मा0 राज्य मंत्री कृषि ।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, कृषि/शासन सचिव, कृषि ।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज0 जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

§ के.ती. वर्मा §
शासन उप सचिव